राजस्व अपील संख्या 200/2019

अपीलाण्टस	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती नेनु पत्नी लूम्बाराम जाति पटेल निवासी कूडो का बास, गांव धान्धिया तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– चुतराराम पुत्र चौथाराम गोद पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी ग्राम निम्बलासर तहसील लूनी, जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये पटवारी धान्धिया तहसील लूनी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–12–2018 जो तहसीलदार (भू.अभि.) लूनी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री जी.आर.पटेल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 5–4–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थियां के पुत्र प्रकाश पटेल पुत्र लुम्बाराम जाति पटेल निवासी कूडो का बास धांधिया तहसील लूनी की ओर से दिनांक 27–12–2017 को तथा अपीलार्थियां नेनु पत्नी लुम्बाराम जाति पटेल स्वयं द्वारा दिनांक 19–1–2018 को तहसीलदार लूनी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि श्रीमती नेनु के भाई कानाराम पुत्र पेमाराम जाति पटेल निवासी गांव सर की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 190 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम विष्णु की ढाणी, तहसील लूनी मे से सहखातेदार कानाराम के हिस्से की 3 बीघा भूमि के संबंध मे एक वसीयत खातेदार कानाराम ने अपीलार्थियां नेनु के पक्ष मे दिनांक 4–5–2015 को लिखी हुई होने से वसीयत के आधार पर 3 बीघा भूमि का नामांतरकरण उसके पक्ष मे दर्ज करने बाबत निवेदन किया । उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने अपंजीबद्ध वसीयत के संबंध मे प्रकरण दर्ज कर पटवारी धांधिया से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की तथा वसीयत के गवाहान को तलब कर उनके बयानात दर्ज किये तथा उक्त वसीयत के संबंध मे आपत्ति की सूचना समाचार पत्र मे प्रकाशित कराने पर रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा पटवारी हल्का धांधियां की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय दस्तावेजात पेश किये । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–2018 के द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्ध गोदनामे के अनुसार स्व0 कानाराम पुत्र पेमाराम के नाम के स्थान पर चुतराराम गोदपुत्र कानाराम का

नान ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार मण्डल धाधिया के खसरा नंबर 30 रकबा 190.13 बीघा की भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2018 विधिविरूद्ध एवं बिना किसी ठोस सबूत के मनमर्जी से पारित किया गया आदेश है तथा उसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने के निर्देशात्मक आदेश भी विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां की ओर से एक आवेदन पत्र अपने हक मे निष्पादित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दर्ज करने हेतु नियमानुसार पेश किया था तथा अपीलार्थियां के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के दो गवाहो के बयान कलमबद्ध करवा दिये गये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए केवल रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे गोदनामे का दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर उसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी को स्वामित्व की घोषणा संबंधी आदेश पारित करने का कोई कानूनी अधिकार नही है क्योंकि यह बिन्दु केवल सिविल न्यायालय मे ही विधिवत प्रक्रिया के पश्चात निर्धारित हो सकता है परंतु वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होना मानकर स्वामित्व की घोषणा बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पोषणीय नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश मे खसरा नंबर 440 व 450 की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 18 व 19 का हवाला देते हुए अप्रार्थी के पक्ष मे उसका नाम गोदनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश दिया है परंतु वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज नही करने बाबत कोई फाईंडिंग अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश मे नही दी है तथा समस्त कार्यवाही राजस्व अधिकारियो रेस्पे0 संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए की गई होने से तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का भली भांति परिशीलन किये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि गोदनामा एवं वसीयतनामा दोनो ही भिन्न भिन्न दस्तावेज है तथा गोदनामे के आधार पर किसी भी दत्तक पुत्र को अपने दत्तक पिता की चल व अचल सम्पति मे अधिकार पुत्र की भांति अवश्य उत्पन्न होते है परंतु गोदनामा निष्पादित कर रजिस्टर्ड कर देने के बाद भी दत्तक पिता अपनी चल व अचल सम्पति

प्रति॰ मन्त्रालय सत्यापित
जोधपुर

को अपने जीवनकाल मे बेचान व हस्तांतरित कर सकता है अर्थात दत्तक ग्रहण के पश्चात भी दत्तक पिता को कानूनन यह वैद्यानिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने जीवनकाल तक जैसे चाहे वैसे अपनी चल व अचल सम्पति का उपयोग एवं उपभोग करते हुए किसी भी दीगर शख्स अथवा संस्था को बेचान, हस्तांतरण, अन्तरण या वसीयत व दान आदि कर सकता है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को ठीक से समझे बिना सरसरी तौर पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब रेस्पो0 संख्या 1 को यह जानकारी मे आ गया था कि उसके दत्तक पिता ने वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे उक्त खसरा नंबर की भूमि मे से उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे वर्ष 2015 मे वसीयत कर दी है तथा रेस्पो0 को वसीयत को निरस्त करवाने बाबत कार्यवाही की जानी चाहिये थी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे गोदनामे का दस्तावेज वर्ष 2008 का था उसके पश्चात वर्ष 2015 की वसीयत है । इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–2018 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि स्व0 कानारामजी ने अपने जीवनकाल मे उनके कोई औलाद नही होने से रेस्पो0 संख्या 1 चुतराराम जो मृतक खातेदार कानाराम के सगे भाई चौथाराम का जायंदा पुत्र है, उसे विक्रम संवत 2064 की वैशाखशुक्ल तीज दिनांक 19–4–2007 गुरूवार आखातीज के दिन धार्मिक रीति रिवाज एवं जातिगत रस्मो रिवाज से जाति एवं गांव के पंचो के समक्ष गोद लिया था तथा उसे राजीखुशी गोद मे बेठाकर रेस्पो0 संख्या 1 चुतराराम को गोद लिया था तथा गोदनामे की लिखत पर गोद देने वाले माता पिता एवं गोद लेने वाले तथा साख के रूप मे दो गवाहो के हस्ताक्षर है तथा उक्त गोदनामा दिनांक 9–6–2018 को उप पंजीयक प्रथम जोधपुर के कर्यालय मे पंजीबद्धसुदा है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि उक्त पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज के पद संख्या 9 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रेस्पो0 चुतराराम मेरे गोदपुत्र के रूप मे पहचाना जायेगा एवं उसे वे तमाम अधिकार प्राप्त होंगे जो एक जाईन्दा पुत्र को होते है एवं वह मेरी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति को मेरे गोद पुत्र की हैसियत से उपयोग व उपभोग कर सकेगा, जिसमे मेरे किसी अन्य दिगर रिश्तेदार को कोई दखल, अधिकार आदि नही होगा तथा उक्त गोदनामे मे यह भी स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि उक्त दिनांक के बाद चुतराराम मेरी तमाम चल व अचल सम्पति का पूर्ण रूप से वैद्य उतराधिकारी वारिसान होगा व रहेगा तथा इस गोदनामे के जरिये चुतराराम मेरी सारी जायदाद का स्वामी होगा, इसमे किसी सख्स को कोई हक अधिकार नही होगा ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि स्व0 खातेदार कानारामजी के स्वर्गवास के बाद रेस्पो0 संख्या 1 चुतराराम ने ही सारे धार्मिक अनुष्ठान पुत्र की भांति निर्वहन किये है तथा यह भी कथन किया कि स्व0 खातेदार कानारामजी के अन्य खातेदारी ग्राम निम्बलासर पटवार मण्डल सरेचा के खसरा नंबर 440 एवं 450 की भूमियां भी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम उक्त पंजीबद्ध गोदनामें के दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की गई है इसलिए ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार मण्डल धांधिया के उक्त खसरा नंबर 30 की कुल 190.03 बीघा भूमि मे मृतक कानारामजी के हिस्से की खातेदारी 3 बीघा भूमि भी रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के आधार पर दर्ज की जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट अपने पक्ष मे ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार मण्डल धांधिया के खसरा नंबर 30 की कुल 190.03 बीघा खातेदारी की भूमि मे मृतक कानारामजी के हिस्से की खातेदारी 3 बीघा भूमि के सबंध मे अपीलार्थियां के पक्ष मे वर्ष 2015 का वसीयतनामा होना बतया तथा उक्त वसीयत के आधार पर उक्त 3 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने बाबत इस्तदुआ की है । इस संबंध मे वकील रेस्पो0 संख्या 1 का यह भी कथन है कि वसीयतनामे मे उल्लेखित भूमि पुश्तैनी भूमि होने से सम्पूर्ण भूमि की वसीयत की ही नही जा सकती थी तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के पुश्तैनी होने बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि उसके पक्ष मे मृतक खातेदार कानारामजी द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देकर निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक रजिस्टर्ड गोदनामे की लिखत अनुसार अपीलाधीन भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 का ही विधिवत अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिवत होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 की इस बहस पर अपीलांट अधिवक्ता ने आपत्ति प्रकट करते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ऐसा कानूनी प्रावधान बताये कि पुश्तैनी सम्पति की वसीयत की ही नही जा सकती है जिस पर अपीलांट अधिवक्ता ने कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करने का कथन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे मृतक खातेदार कानाराम द्वारा अपनी तमाम चल व अचल सम्पति का उल्लेख करते हुए एक विधिवत पंजीबद्ध गोदनामा निष्पादित किया था तथा उक्त गोदनामे के दस्तावेज के आधार पर मृतक के अन्य खातेदारी की भूमियां रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई तथा वर्तमान अपीलाधीन भूमि ग्राम विष्णु की ढाणी के खसरा नंबर 30 की कुल 190.03 बीघा मे से मृतक खातेदार कानाराम की 3 बीघा भूमि के संबंध मे अपीलांट अपने पक्ष मे एक

वसीयतनामा वर्ष 2015 निष्पादित किया जाना बताते है जो अपंजीकृत वसीयत है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने 1994 सिविल कोर्ट केसेज (2) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पेज 135 की निर्णय नजीर पेश की जबकि इसके विपरीत अपीलांट अधिवक्ता ने माननीय सुप्रिम कोर्ट मे दायर सिविल अपील संख्या 7092/2010 मे पारित निर्णय 23–1–2019 की प्रति पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर एवं निर्णय आदि का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलार्थियां मृतक खातेदार कानाराम की बहन है तथा रेस्पो0 संख्या 1 चुतराराम (गोदपुत्र) जो कि मृतक खातेदार कानाराम के सगे भाई चौथाराम का जायंदा पुत्र है।

वर्तमान अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार कानाराम ने उसके कोई औलाद नही होने से रेस्पो0 संख्या 1 चुतराराम को विक्रम संवत 2064 की वैशाखशुक्ल तीज दिनांक 19–4–2007 गुरूवार आखातीज के दिन धार्मिक रीति रिवाज एवं जातिगत रस्मो रिवाज से विधिवत जाति एवं गांव के पंचो के समक्ष गोद लिया था तथा गोदनामे की लिखत पर गोद देने वाले के माता पिता एवं गोद लेने वाले कानाराम तथा स्वयं चुतराराम व साख के रूप मे दो गवाहो आदि के हस्ताक्षर है तथा उक्त गोदनामा दिनांक 9–6–2008 को उप पंजीयक प्रथम जोधपुर के कार्यालय मे दिनांक 9–6–2008 को पंजीबद्धसुदा है अथार्त रेस्पो0 संख्या 1 चुतराराम मृतक खातेदार कानाराम का गोदपुत्र है।

इसके विपरीत अपीलार्थियां श्रीमती नेनु ने अपने पक्ष मे खातेदार कानाराम द्वारा उसकी ग्राम विष्णु की ढाणी के खसरा नंबर 30 रकबा 190.13 बीघा भूमि मे से उसके हिस्से की 3 बीघा भूमि के संबंध मे एक अन रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 4–5–2015 को लिखा होना बताते हुए तथा खातेदार कानाराम का देहांत दिनांक 10–11–2017 को हो जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदर लूनी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर उसके पक्ष मे म्युटेशन दर्ज करने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने अपंजीकृत वसीयत प्रकरण संख्या 1/2018 दर्ज कर वसीयत के गवाहान को नोटिस जारी किये तथा उक्त वसीयत के संबंध मे कोई आपत्ति हो तो इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित करवाई जाने पर अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने वकालातनामा एवं दस्तावेज के साथ जवाब भी प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली है ।

अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे वसीयत के गवाहान के बयानात आदि रेकर्ड पर लिये गये तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट भी तलब की जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–2018 के द्वारा उनके

समक्ष अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्ध गोदनामे के अनुसार स्व0 कानाराम पुत्र पेमाराम के नाम के स्थान पर चुतराराम गोदपुत्र कानाराम का नाम ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार मण्डल धांधिया के खसरा नंबर 30 रकबा 190.13 बीघा की भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जो प्रथमदृष्ट्यिां समर्थन योग्य है ।

रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे का दस्तावेज जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन एवं अध्ययन करने पर उक्त गोदनामे के पद संख्या 9 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रेस्पो0 चुतराराम मेरी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति को मेरे गोद पुत्र की हैसियत से उपयोग व उपभोग कर सकेगा, जिसमे मेरे किसी अन्य दिगर रिश्तेदार को कोई दखल, अधिकार आदि नही होगा तथा इसी गोदनामे के दस्तावेज के आधार पर स्व0 खातेदार कानारामजी के अन्य खातेदारी ग्रम निम्बलासर पटवार मण्डल सरेचा के खसरा नंबर 440 एवं 450 की भूमियां भी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक रजिस्टर्ड गोदनामे की लिखत अनुसार ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार मण्डल धांधिया के उक्त खसरा नंबर 30 की कुल 190.03 बीघा भूमि मे मृतक कानारामजी के हिस्से की खातेदारी 3 बीघा भूमि भी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम ही दर्ज होगी तथा यही आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे पारित किया है ।

वर्तमान अपील मे पक्षकारान की बहस के दौरान अपीलाधीन भूमि पुश्तैनी होने से उसकी वसीयत की जा सकती थी अथवा नही । जिसके संबंध मे दोनो ही पक्षकारो ने अपनी ओर से निर्णय एवं नजीर प्रस्तुत की है परंतु इस नये बिन्दु पर विवेचन देकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नही समझते हुए इस न्यायालय का भी यही अभिमत है कि रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज के अस्तित्व मे रहते अपीलांट को अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नही हो सकते है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ) लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 5–4–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर